न्यूज़ टुडे

संसदीय पैनल ने IBC के कामकाज में प्रणालीगत चुनौतियों को रेखांकित किया

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी **28वीं रिपोर्ट** में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत कुल स्वीकृत दावों की तुलना में **कम वसूली दर** पर चिंता व्यक्त की।

IBC के कारण सफलताएं और व्यवहारजन्य बदलाव

- **समाधान (Resolution) के बाद पुनरुद्धार:** समाधान के उपरांत, कंपनियों ने महत्वपूर्ण परिचालनात्मक और वित्तीय सुधार प्रदर्शित किए हैं। इसमें समाधान के पश्चात के तीन वर्षों में औसत बिक्री में **76% की वृद्धि** हुई है और कुल परिसंपत्तियों में लगभग **50% की** बढ़ोतरी हुई है।
- **बेहतर ऋण संस्कृति:** ऋण खातों के **"अतिदेय (Overdue)"** रहने के औसत दिनों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। IBC के लागू होने से पहले औसत दिन **248-344** तक होते थे। IBC के लागू होने के बाद यह संख्या **30-87 दिन** रह गई है।
- **संहिता से बाहर ऋण निपटान:** IBC के निरोधात्मक प्रभाव के कारण मामलों के औपचारिक प्रस्तुतिकरण से पहले ही महत्वपूर्ण ऋणों का निपटान हुआ है।

IBC की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली मुख्य चुनौतियां

- **समय सीमा का उल्लंघन:** ऐसा NCLT/ NCLAT में न्यायिक/ कर्मचारी पदों के रिक्त होने, न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं आदि के कारण हो रहा है।
  - **NCLT:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
  - **NCLAT:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण।
- **कम वसूली और अत्यधिक 'हेयरकट':** ऐसा परिसंपत्तियों के मूल्य में क्षरण के कारण हो रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कंपनियां संकट शुरू होने के बहुत बाद IBC प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी अन्य कारण हैं।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष:** IBC और धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मुकदमेबाज अक्सर स्थगन (stay) या निषेधाज्ञा (injunction) प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226/ 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शरण लेते हैं, आदि।

रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें

- **संस्थागत क्षमता में वृद्धि:** अतिरिक्त NCLT पीठों के निर्माण में तत्काल तेजी लानी चाहिए; IBC के लिए समर्पित **"न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नियम"** को अधिसूचित करना चाहिए आदि।
- **प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** **"सत्य के एकल स्रोत"** के रूप में सेवा करने के लिए **एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म (iPIE)** के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए; तुच्छ मुकदमों को रोकने के लिए 'असफल समाधान' आवेदकों हेतु **अग्रिम सीमा जमा** (upfront threshold deposit) को अनिवार्य करना चाहिए आदि।
- **मूल्य वसूली को बढ़ाना:** परिसंपत्ति मूल्यांकन के लिए **परिसमापन मूल्य (liquidation value) की बजाय उद्यम मूल्य** पर विचार करना चाहिए; अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आउटरीच एवं पारदर्शी ई-नीलामी प्लेटफॉर्म्स को अपनाना चाहिए आदि।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अवैध अप्रवासियों के पास भारत में कोई कानूनी अधिकार नहीं है

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट याचिका में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद उनकी कोई जानकारी न मिलने का मुद्दा उठाया गया था। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदत्त **सुविधाएं और अन्य लाभ देश के नागरिकों के लिए हैं, न कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए लोगों के लिए।**

उच्चतम न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

- **भारत में रोहिंग्याओं की वैधानिक स्थिति:** शीर्ष न्यायालय ने **रोहिंग्याओं को शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत करने की मांग पर सवाल** उठाया, और कहा कि इसके लिए **सरकार के स्तर से आधिकारिक घोषणा आवश्यक** है।
  - न्यायालय ने कहा कि **रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं,** इसलिए, भारत में **उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं** है।
- **देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले के प्रति दायित्व:** न्यायालय ने उनके साथ **मूलभूत मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।** हालांकि, इस विचार पर सवाल किया कि **कोई विदेशी नागरिक गैर-कानूनी रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद कानूनी अधिकारों की मांग करे।**
- **राष्ट्रीय प्राथमिकता और सुरक्षा:** न्यायालय ने कहा कि भारत की **अपनी आबादी की ज़रूरतें पूरी करना, अवैध प्रवासियों की जरूरतों से अधिक महत्वपूर्ण** है। साथ ही, न्यायालय ने विशेष रूप से **पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा की सख्त निगरानी के सामरिक महत्व** को भी दोहराया।

भारत में शरणार्थियों से संबंधित कानूनी प्रावधान

- **अंतरराष्ट्रीय कानून:**
  - **शरणार्थी अभिसमय, 1951 (Refugee Convention):** इसमें 'शरणार्थी' की **परिभाषा** दी गई है। साथ ही, इसमें उनके **अधिकारों व उनकी सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार मानकों** का भी उल्लेख है।
    - **भारत इस अभिसमय (कन्वेंशन)** और इसके **1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।**
    - प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून (कस्टमरी लॉ') के तहत **"गैर-वापसी"** यानी **'नॉन-रिफाउलमेंट' सिद्धांत** को भारत मानता है।
      - **नॉन-रिफाउलमेंट** अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह राष्ट्रों को **किसी व्यक्ति को ऐसे देश वापस भेजने से रोकता है जहाँ उसे उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर नुकसान का खतरा हो।**
- **भारत में कानून:** भारत में शरणार्थियों को अग्रलिखित कानूनों के तहत प्रशासित किया जाता है: **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946);** विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; पासपोर्ट अधिनियम, 1967 ;और नागरिकता अधिनियम, 1955।
  - **तदर्थ (Ad-hoc) व्यवस्था:** भारत में **शरणार्थी दर्जा किसी कानून के तहत नहीं,** बल्कि **कार्यपालिका/प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से** दिया जाता है। इसे **"रणनीतिक अस्पष्टता (Strategic Ambiguity)"** की संज्ञा दी गई है।
  - **शरणार्थियों के प्रबंधन का विभाजन:**
    - **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)** श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती शरणार्थियों से जुड़े मामलों को देखता है।
    - **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी 'UNHCR'** रोहिंग्या, अफ़ग़ान, म्यांमार और अफ्रीकी नागरिकों से जुड़े शरणार्थियों के मामले को प्रशासित करती है।
  - **भारत ने निम्नलिखित समूहों को शरणार्थी का दर्जा दिया है:**
    - तिब्बती शरणार्थी;
    - श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी;
    - चकमा और हाजोंग शरणार्थी, आदि।

एक संसदीय समिति के अनुसार दवाओं की बढ़ती कीमतों का आम नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने निम्नलिखित पर चिंता व्यक्त की है-

- अत्यधिक मुनाफ़ाखोरी;
- विलंबित नीतिगत सुधार; और
- आवश्यक दवाओं तक वहनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानूनी तंत्र की अनुपस्थिति।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अत्यधिक मुनाफे के कारण महंगी होती दवाइयां:** सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली कई दवाओं पर अत्यधिक मुनाफा होता है, जो कभी-कभी **500% से 1800%** के बीच होता है। इससे वे आम नागरिकों के लिए **अवहनीय** हो जाती हैं।
- **मूल्य नियंत्रण केवल कुछ दवाओं पर लागू:** केवल राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) के तहत सूचीबद्ध **आवश्यक** दवाइयां ही मूल्य-नियंत्रित होती हैं। अन्य दवाइयां **(गैर-अनुसूचित दवाइयां)** प्रारंभिक मूल्य निर्धारण चरण में **विनियमित नहीं** होती हैं। इससे कंपनियों को बहुत अधिक MRPs निर्धारित करने की अनुमति मिलती है।
- **मूल्य निर्धारण में कमजोर पारदर्शिता:** सरकार और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के पास वास्तविक लागत डेटा {जैसे- **प्राइस टू स्टॉकिस्ट (PTS)**} तक पहुंच नहीं है। इससे प्रत्येक स्तर पर कितना मुनाफा जोड़ा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है।
- **व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (TMR) में देरी:** हालांकि, व्यापार मार्जिन को सीमित करने के लिए TMR का पहले परीक्षण किया गया था और कैंसर दवाओं की कीमतों को कम करने में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्षों की चर्चा के बावजूद इसे अभी तक **स्थायी नीति नहीं** बनाया गया है।

महत्वपूर्ण सिफारिशें

- **व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (TMR):** TMR को एक **कानूनी और स्थायी उपकरण** बनाना चाहिए। इससे आपूर्ति श्रृंखला में दवाओं की कीमतें **बढ़ाई नहीं** जा सकेंगी।
- **गैर-अनुसूचित दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण:** सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं के **तेजी से बढ़ते मूल्य निर्धारण** की जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। ये दवाइयां वर्तमान में सख्त विनियमन से बाहर हैं।
- **स्टेंट की कीमतों को कम और मॉनिटर करना:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टेंट को कभी भी NPPA द्वारा निर्धारित कीमतों से **ऊपर न बेचा** जाए। साथ ही, उनकी लागत को **और कम** करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **कैंसर की दवाओं के मूल्य निर्धारण को पारदर्शी बनाना:** कंपनियों, अस्पतालों और ऑनलाइन विक्रेताओं से **वास्तविक समय मूल्य निर्धारण डेटा** एकत्र करने के लिए एक प्रणाली निर्मित करनी चाहिए। साथ ही, वास्तविक उत्पाद और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स** को विनियमित करना चाहिए।

औषधि विनियामक और संस्थागत फ्रेमवर्क

- **औषध विभाग (DoP):** यह **केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय** के अधीन है।
- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):** यह **औषध विभाग** के तहत एक स्वतंत्र निकाय है। इसे **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO)** को लागू करने और प्रवर्तित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013:** इसके तहत **राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM)** के आधार पर कीमतों को नियंत्रित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति (NPPP), 2012:** इसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं की **उचित कीमतों** पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने "खाद्य एवं कृषि के लिए विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति (SOLAW) 2025" रिपोर्ट जारी की

SOLAW रिपोर्ट **प्रत्येक दो वर्षों में जारी** की जाती है। SOLAW 2025 रिपोर्ट **भूमि, मृदा और जल संसाधनों की अदृश्य और अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग पर केंद्रित** है, ताकि संधारणीय कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, अनुकूलन (रेसिलिएंस) और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं में वृद्धि की जा सके।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- **मुख्य चुनौतियां:** वर्ष **2050 तक विश्व की आबादी में वृद्धि** के कारण कृषि को **2012 की तुलना में 50% अधिक खाद्य, चारा और फाइबर का उत्पादन** करना पड़ेगा। साथ ही, **25% अधिक ताजा जल की जरुरत पड़ेगी।**
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि **कृषि भूमि के विस्तार की अब संभावना नहीं रह गई** है।
  - मानव-जनित **भूमि-निम्नीकरण (Land degradation) का 60% से अधिक प्रभाव** सीधे कृषि भूमि पर पड़ता है। साथ ही, **वैश्विक ताजे जल संसाधनों का 70% से अधिक हिस्सा अकेले कृषि क्षेत्रक द्वारा उपयोग** कर लिया जाता है।
  - गहन कृषि पद्धतियाँ और रसायनों का अत्यधिक उपयोग **बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार** हैं। साथ ही, ये **भूमि, मृदा और जल संसाधनों में कमी का कारण भी** हैं।
- **संधारणीय कृषि उत्पादन की संभावनाएं:**
  - **भूमि उत्पादकता बढ़ाना: इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-**
    - **वर्तमान वास्तविक उपज और उपज-क्षमता के बीच के** अंतर (yield gap) को कम करना,
    - **स्थानीय दशाओं के अनुकूल जलवायु सहिष्णु फसलों की खेती** को बढ़ावा देना, और,
    - **संधारणीय कृषि-फसल प्रबंधन पद्धतियों** को अपनाना।
  - **वर्षा सिंचित (Rainfed) कृषि की उत्पादकता बढ़ाना:** यह निम्नलिखित रूप से संभव है:
    - **संरक्षण कृषि** (conservation agriculture) को बढ़ावा देकर,
    - **सूखा-सहिष्णु तकनीकों;** जैसे—**मृदा में नमी का संरक्षण, अलग-अलग फसलों की खेती (विविधीकरण) को अपनाकर,** आदि ।
      - **उदाहरण के लिए:** गोरखपुर (भारत) में **"सूक्ष्मजीवों के प्रभावी प्रबंधन"** (Management of effective microorganisms) से किसानों की आय में अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
  - **एकीकृत कृषि-पद्धतियां:** जैसे **कृषि-वानिकी** (Agroforestry), **घूर्णी चराई** (Rotational grazing), **चारा फसल में सुधार,** तथा **धान की खेती के साथ मछली पालन** (rice–fish farming) जैसे मॉडल्स को अपनाना।
  - **संस्थाओं द्वारा क्षमता निर्माण:** यह आधुनिक **कृषि-विस्तार सेवाओं** के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें FAO के **फार्मर फील्ड स्कूल (FFS) जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम** शामिल हैं।
    - **उदाहरण के लिए:** आंध्र प्रदेश में **फार्मर फील्ड स्कूल** कार्यक्रम ने समुदाय द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक खेती **(नेचुरल फार्मिंग)** पहल को बढ़ावा दिया है। इससे **स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और आजीविका में सुधार** हुआ है।

पर्यावरण पुनर्स्थापन के लिए जैवोपचार (Bioremediation) एक सतत दृष्टिकोण प्रदान करता है

जैवोपचार, भारत के गंभीर होते प्रदूषण संकट के लिए एक **कम लागत वाला और महत्वपूर्ण संधारणीय समाधान** के रूप में उभर रहा है।

जैवोपचार के बारे में

- जैवोपचार **मृदा, जल या वातावरण में मौजूद पर्यावरणीय संदूषकों (तेल, कीटनाशक, प्लास्टिक, सीवेज, भारी धातुएं आदि) का उपचार और विषहरण (Detoxifying)** करने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए **प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं** का लाभ उठाया जाता है।
- इसे **पादपों (फाइटोरिमेडिएशन), रोगाणुओं (बायोस्टिम्यूलेशन), कवक (माइकोरिमेडिएशन), या यहां तक कि मछलियों जैसे जीवों (बायोमैनिपुलेशन)** का उपयोग करके भी संपन्न किया जा सकता है।
- **जैवोपचार के प्रकार:**
  - **स्वस्थाने (In situ):** इसमें **संदूषित स्थल पर ही उपचार** किया जाता है। उदाहरण के लिए- तेल रिसाव पर ऑइलज़ैपर जैसे तेल खाने वाले बैक्टीरिया का छिड़काव।
  - **बाह्यस्थाने (Ex situ):** संदूषित सामग्री को हटाकर **किसी सुविधा केंद्र में उपचार** किया जाता है। इस पद्धति में **बायोपाइल्स (biopiles), बायोरिएक्टर्स (bioreactors), कंपोस्टिंग (composting)** आदि तरीकों का उपयोग किया जाता है।

जैवोपचार का महत्त्व

- **वहनीयता:** पारंपरिक सफाई के तरीके महंगे और अधिक ऊर्जा का उपभोग करने वाले होते हैं। इनके विपरीत, जैवोपचार एक कम लागत वाला समाधान प्रदान करता है।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन:** जैवोपचार कम आक्रामक होता है। यह पहले से ही तनावग्रस्त पारिस्थितिकी-तंत्र को बाधित किए बिना मौजूदा जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ाता है।
- **समृद्ध सूक्ष्मजीव विविधता:** भारत की समृद्ध सूक्ष्मजीव जैव विविधता स्थानीय रूप से अनुकूलित उपभेद (strain) प्रदान करती है। ये उपभेद स्थानीय रूप से प्रबंधित संधारणीय समाधान प्रदान कर सकते हैं।

जैवोपचार के उपयोग में चुनौतियां

- **पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा:** यदि जैवोपचार को उचित रीति से नियंत्रित नहीं किया गया, तो रोगाणु (विशेष रूप से आनुवंशिक रूप से संशोधित उपभेद) संतुलन को बाधित कर सकते हैं।
- **उपचार की धीमी दर:** वाणिज्यिक और राजनीतिक दबाव के कारण उद्योग एवं शहर अक्सर तेजी से समाधान को प्राथमिकता देते हैं।
- **मानक प्रोटोकॉल का अभाव:** भारत में एकीकृत जैवोपचार मानकों और सूक्ष्मजीव उत्पादों के लिए स्पष्ट नियमों की कमी है। इससे जैवोपचार के बड़े पैमाने पर उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है।

भारत के प्रयास

- **स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत जैवोपचार को वित्त-पोषित करता है।
- **सहयोग:** CSIR–NEERI, IITs और विश्वविद्यालय तेल रिसाव एवं मृदा के विषहरण के लिए सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों व सामग्री का विकास कर रहे हैं।
  - CSIR–NEERI: वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान।
- **किण्वन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र:** यह अत्याधुनिक **सूक्ष्मजीव किण्वन** सुविधा है। इसे जैवोपचार में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मजीव उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का समर्थन करने के लिए TERI (ऊर्जा और संसाधन संस्थान) ने स्थापित किया है।

अन्य सुर्खियां

नवरत्न का दर्जा

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को नवरत्न का दर्जा दिया गया।

- NRL की स्थापना **1993 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (CPSE)** के रूप में की गई थी।
- CPSEs को उनके प्रदर्शन और विशिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर **'रत्न'** का दर्जा दिया जाता है।

नवरत्न का दर्जा दिए जाने के लिए मानदंड

- CPSEs जो **मिनीरत्न-I और अनुसूची 'A'** में हैं।
- जिन्होंने पिछले **5 में से 3 वर्षों में 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' MoU (समझौता ज्ञापन) रेटिंग** प्राप्त की हो, और
- **6 प्रदर्शन संकेतकों** में कुल स्कोर **60 या उससे अधिक** का हो। इन प्रदर्शन संकेतकों में **निवल लाभ, नेटवर्थ, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर आय (EPS) ब्याज और करों से पहले के मुनाफे का कारोबार से अनुपात** आदि शामिल हैं।

अलकनंदा आकाशगंगा

भारतीय शोधकर्ताओं ने **NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप** का उपयोग करके **'अलकनंदा' नामक एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा** की खोज की है।

- इस आकाशगंगा में एक **चमकदार केंद्रीय उभार के चारों ओर लिपटी हुई दो सुस्पष्ट सर्पिल भुजाएं** हैं, जो व्यास में लगभग **30,000 प्रकाश वर्ष** तक फैली हुई हैं।

सर्पिल आकाशगंगा के बारे में

- ये आकाशगंगाएं विशाल **घूमने वाले पिनव्हील्स** के समान दिखाई देती हैं। ये सितारों के पैनकेक जैसी डिस्क और एक केंद्रीय उभार या सितारों के सघन जमाव से युक्त होती हैं।
- सर्पिल आकाशगंगाएं **प्रभामंडल (halos)** से घिरी होती हैं। ये प्रभामंडल **पुराने तारों, तारा समूहों और डार्क मैटर** का मिश्रण होते हैं।
  - **डार्क मैटर:** अदृश्य पदार्थ, जो प्रकाश उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करता, लेकिन फिर भी अन्य पदार्थों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उत्पन्न करता है।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)

RBI ने अपनी 2025 की सूची में **भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (Domestic Systemically Important Banks - D-SIBs)** के रूप में मान्यता दी है।

D-SIBs के बारे में

- D-SIBs ऐसे बैंक हैं, जिनकी विफलता से **संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था** पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- **D-SIBs** परस्पर संबद्ध **संस्थाएं** होती हैं। इसके अलावा, इनके **आकार व बैंकिंग क्षेत्रक में महत्वपूर्ण भूमिका** के कारण इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता।
- इनकी प्रणालीगत महत्ता के आधार पर **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा इनकी पहचान की जाती है।
- बैंकों को उनकी D-SIB की श्रेणी के आधार पर उनकी **जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) के रूप में** रखना होता है।
- D-SIBs को वित्तीय प्रणाली के लिए उनके महत्त्व के आधार पर **विभिन्न बकेट्स** में रखा जाता है।

कंपनी (परिभाषा संबंधी विवरणों का विनिर्देश) संशोधन नियम, 2025

केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने **कंपनी (परिभाषा संबंधी विवरणों का विनिर्देश) संशोधन नियम, 2025** के तहत **लघु कंपनियों** के लिए संशोधित परिभाषाओं को अधिसूचित किया है।

नियमों के बारे में

- एक कंपनी लघु कंपनी के रूप में योग्य होगी यदि:
  - चुकता पूंजी **₹10 करोड़ से अधिक न** हो।
  - पिछले वित्तीय वर्ष में **कारोबार (Turnover) ₹100 करोड़ से अधिक न** हो।
- **पहले,** चुकता शेयर पूंजी की सीमा **₹4 करोड़ तक** और कारोबार की सीमा **₹40 करोड़ तक** थी।

साइबर स्लेवरी

पिछले कुछ वर्षों में **म्यांमार, कंबोडिया और लाओस** जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश **साइबर स्लेवरी** के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं।

- **साइबर स्लेवरी** आधुनिक समय की **मानव तस्करी** का एक रूप है। इसमें लोगों को अक्सर **नौकरी के झांसे** में फंसाया जाता है और फिर **धमकी, ज़बरदस्ती या कैद में रखकर ऑनलाइन घोटाले, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अपराध** करने के लिए मजबूर किया जाता है।

यह कैसे काम करता है?

- **धोखा:** पीड़ितों को विदेशों में उच्च वेतन वाली नौकरियों का वादा किया जाता है।
- **दस्तावेज़ों की ज़ब्ती:** भागने से रोकने के लिए पासपोर्ट और पहचान-पत्र जब्त कर लिए जाते हैं।
- **जबरन ऑनलाइन आपराधिक कार्य:** पीड़ितों को फर्जी कॉल सेंटर, रोमांस स्कैम, क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, फिशिंग आदि संचालित करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार:** पीड़ितों को यातना दी जाती है, उनसे लंबे समय तक काम कराया जाता है, उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है।

हॉर्नबिल

नागालैंड ने अपना **10 दिवसीय प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉर्नबिल महोत्सव** मनाना शुरू किया।

महोत्सव के बारे में

- इसका नाम **हॉर्नबिल** पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो **नागा लोककथाओं** में सांस्कृतिक रूप से सम्मानित पक्षी है।
- यह **नागा हेरिटेज विलेज, किसामा** में आयोजित किया जाता है।
- यह महोत्सव **जनजातियों के बीच मेलजोल** को बढ़ावा देता है। साथ ही, नागालैंड की **सांस्कृतिक विरासत** को प्रदर्शित एवं संरक्षित करता है।

हॉर्नबिल पक्षी के बारे में

- हॉर्नबिल एक **उष्णकटिबंधीय पक्षी** है। इसका नाम इसकी असामान्य रूप से **बड़ी व घुमावदार चोंच और चोंच के ऊपर कैस्क (casque) नामक हॉर्न-जैसी संरचना** के कारण पड़ा है।
- हॉर्नबिल को **'वन का किसान'** कहा जाता है, क्योंकि यह कई उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीज फैलाता है और **वन को जीवित** रखता है।
- भारत में **9 हॉर्नबिल प्रजातियां** पाई जाती हैं। इनमें **ग्रेट हॉर्नबिल, नारकोंडम हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल** आदि शामिल हैं।

ओम्बड्समैन योजना (Ombudsman Scheme)

वित्त वर्ष 2025 में **भारतीय रिज़र्व बैंक- एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS)** के तहत ग्राहकों ने सबसे ज्यादा **क्रेडिट कार्ड्स को लेकर शिकायतें** दर्ज की हैं।

RB-IOS, 2021 के बारे में

- **उद्देश्य:** विनियमित संस्थाओं (REs) के ग्राहकों को **शीघ्र, वहनीय और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करना।
- **कवरेज:** सभी वाणिज्यिक बैंक, RRBs (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां), क्रेडिट सूचना कंपनियां आदि।
- यह RBI की **तीन ओम्बड्समैन योजनाओं को एकीकृत** करती है। ये हैं- **बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006; NBFC ओम्बड्समैन योजना, 2018 और डिजिटल लेन-देन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019**।
  - इसमें **'वन नेशन वन ओम्बड्समैन'** दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- **शक्तियां:** ओम्बड्समैन **₹20 लाख तक** के मुआवजे का आदेश दे सकता है। साथ ही शिकायतकर्ता के समय, खर्च, और किसी भी मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न के लिए **₹1 लाख तक** अतिरिक्त राशि का भी आदेश दे सकता है।

जैविक हथियार अभिसमय

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) की 50वीं वर्षगांठ पर भारत ने **मजबूत जैवसुरक्षा** का आह्वान किया।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के बारे में

- **जैविक/ विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, अधिग्रहण, हस्तांतरण और उपयोग पर प्रतिबंध** लगाता है।
  - **जैविक हथियार** युद्ध के उन उपकरणों को कहते हैं, जो **हानिकारक जीवों (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, विषैले पदार्थ)** को फैलाते हैं। इससे मनुष्यों/ जानवरों/ पौधों में बीमारी/ मृत्यु होती है।
- **सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD)** के एक पूरे वर्ग पर **प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि**।
- **पक्षकार:** भारत सहित **189 देश पक्षकार** हैं।
- **उत्पत्ति:** इसे **1972** में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह **1975** में लागू हुई थी। यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि** है।
- **प्रशासन:** इसका प्रशासन **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (UNODA)** द्वारा किया जाता है। UNODA का मुख्यालय **जिनेवा** में है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

स्वर्गदेव छौलुंग सुकफा

प्रधान मंत्री ने **असमिया लोगों को असोम दिवस या सुकाफा दिवस** पर बधाई दी। इस दिवस पर **स्वर्गदेव छौलुंग सुकफा** की यात्रा और नेतृत्व का जश्न मनाया जाता है।

स्वर्गदेव छौलुंग सुकफा के बारे में

- वह **ताइ राज्य मोंग माओ** के एक राजकुमार थे, जो वर्तमान **युन्नान (चीन) में रुइली** के पास है।
- सिंहासन पर अपने **वैध दावे से वंचित** होने के बाद, उन्होंने **13 वर्षों तक प्रवास** किया और **2 दिसंबर, 1228** को **असम** में प्रवेश किया।

प्रमुख योगदान

- **अहोम साम्राज्य की स्थापना:** उन्होंने **1253 ईस्वी** में **चेरायदेव** को राजधानी घोषित करके **अहोम साम्राज्य** की स्थापना की।
  - **क्षेत्र:** संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी।
  - **शासनावधि:** 600 से अधिक वर्षों तक।
- अंग्रेजों ने **1826** में अस्थायी रूप से इस राज्य को अपने अधीन कर लिया था।
  - लेकिन **1836** में उन्होंने सम्पूर्ण राज्य को पूरी तरह से अधीन कर लिया और यह **1947** तक अंग्रेजों के अधीन रहा।
- **39 राजाओं** के नेतृत्व में ताई लोगों ने एक **एकीकृत भाषा (असमिया)** के साथ **असमिया** नामक एक **संयुक्त राष्ट्रीयता** का गठन किया।